



टी बोर्ड भारत Tea Board India

14, बी.टी.एम.सरणी (ब्रेबोर्न रोड) कोलकाता 700001

14, B.T.M Sarani (Brabourne Road) Kolkata 700 001

www.teaboard.gov.in

वेबसाइट: <https://teaboard.gov.in>

ई-मेल : secretary.tbi-wb@gov.in

दूरभाष: 033-2235 1331

एक्सटें: 278

संदर्भ सं 6(9)/एलसी/फ्लेवर टी/2020/339

दिनांक: 12.01.2023

परिपत्र

16

विषय: फ्लेवर्ड इंस्टेंट टी का पंजीकरण

खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) विनियम, 2011 के अनुसार चाय की तीन श्रेणियां, जैसे स्वादयुक्त चाय के पंजीकरण के लिए काली/ऊलोंग चाय, कांगड़ा चाय और हरी चाय को निर्दिष्ट किया गया था।

सॉलिड फॉर्म में इंस्टेंट टी को कंपेंडियम (संस्करण-XXV दिनांक 23.09.2022) के नवीनतम संस्करण में शामिल किया गया है और फ्लेवर्ड इंस्टेंट टी के पंजीकरण के लिए निम्नलिखित तीन जैव रासायनिक मापदंडों को परिभाषित किया गया है।

क्र.सं	मापदंड	अपेक्षाएं
1	आर्द्रता-मात्रा, द्रव्यमान द्वारा प्रतिशत, मैक्स	6.0
2	कुल राख, द्रव्यमान द्वारा प्रतिशत, मैक्स, शुष्क आधार पर:	
	क) गर्म घुलनशील	20
	ख) ठंडा घुलनशील	35
3	एसिड-अघुलनशील राख, द्रव्यमान द्वारा प्रतिशत, मैक्स	1.0

जैसा कि ऊपर संदर्भित संस्करण में उल्लेख किया गया है, फ्लेवर्ड इंस्टेंट चाय निर्माताओं को फ्लेवर्ड इंस्टेंट चाय के विपणन से पहले खुद को टी बोर्ड के साथ पंजीकृत कराना होगा, बशर्ते कि उत्पाद उपरोक्त आवश्यकताओं के अनुरूप हो।

तदनुसार, फ्लेवर्ड इंस्टेंट चाय निर्माता सभी आवश्यक दस्तावेजों और आवेदन शुल्क के साथ फ्लेवर्ड इंस्टेंट चाय के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल <https://onlineapps.teaboard.gov.in> के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

रजनीगंधा सील नस्कर

(रजनीगंधा सील नस्कर)

अनुज्ञापन नियंत्रक

वितरण:

1	सर्व चाय उत्पादक संस्थान	कृपया सूचना हेतु
2	सर्व क्रेता संस्थान	
3	सर्व निर्यातक संस्थान	
4	कार्यपालक निदेशक, टी बोर्ड, गुवाहाटी	
5	कार्यपालक निदेशक, टी बोर्ड, कूनूर	
6	उपनिदेशक, टी बोर्ड, सिलिगुड़ी	
7	उपनिदेशक, टी बोर्ड, जलपाईगुड़ी	
8	प्रभारी, टी बोर्ड, पालमपूर	